न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 577–पीबीआर/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 87/2000–01/निगरानी.

.....

नारायण सिंह पुत्र जग्गू
निवासी ग्राम खोड़न तहसील डबरा
जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–हरदू पुत्र पहलू
2–लालाराम पुत्र पहलू
3–पंचू पुत्र पहलू
4–भरोसा (मृत वारिसान)
(1)श्रीमती राजाबेटी पत्नि श्री भरोसा
(2)रामकिशोर पुत्र श्री भरोसा
(3)ख्याली पुत्र श्री भरोसा
(4)बल्ली पुत्र भरोसा
(5)करनसिंह पुत्र भरोसा
निवासीगण ग्राम खोड़न तहसील डबरा,
जिला ग्वालियर.
(6)श्रीमती गुड्डी पत्नी नत्था पुत्री भरोसा
निवासी मोहनगढ़ तहसील भितरवार जिला ग्वालियर
(7)श्रीमती केला पत्नी कमलसिंह पुत्री भरोसा
निवासी बाथम मोहल्ला नरवर जिला शिवपुरी
5–बदनसिंह पुत्र मोतीराम
निवासी ग्राम लोहागढ़ तहसील डबरा जिला ग्वालियर

..... अनावेदकगण

.....

श्री ए.के.अग्रवाल, अभिभाषक–आवेदक
श्री एस.एस.जादौन अभिभाषक–अनावेदक क्र. 4 के वारिसान एवं क्र.6

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 8/10/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–08–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के द्वारा तहसील न्यायालय डबरा में संहिता की धारा 110, 115 एवं 116 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम लोहगढ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1306 रकवा 0.219 हेक्टेयर का बंटन के आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाये। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 20/99–2000/अ–6 दर्ज कर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक नारायण सिंह के द्वारा इस आवेदन का विरोध करते हुये संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर नामान्तरण नहीं करने का निवेदन किया । जिस पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 ने आवेदन का जबाव देते हुये बताया कि शासन द्वारा उनका कब्जा माना है व उनको भूमि प्राप्त करने की पात्रता होना बताया है । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–1–2001 को आदेश पारित किया जाकर उक्त आवेदन पत्र अमान्य किया गया । तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–01–2001 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–8–2005 को आदेश पारित कर निगरानी अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा विवादित भूमि पर नामान्तरण चाहा जा रहा है वह मात्र कब्जे के आधार पर चाहा जा रहा है । तहसील न्यायालय द्वारा बिना

आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जो न्यायिक नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जो तहसील न्यायालय द्वारा बिना जॉच किये ही अमान्य कर दी है । यह भी कहा गया कि आवेदक विवादित भूमि पर 12 वर्ष से काबिज है तथा कृषि कार्य कर रहा है । विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आवेदक के पक्ष में है । विवादित भूमि पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 का कभी कब्जा नहीं रहा है। अंत में कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक क्र.4 के वारिसान एवं अनावेदक कमांक 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिये प्रकरण का निराकरण राजीनामें के आधार पर कर दिया जाये ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि उन्हैं आबंटित होने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर उसका कब्जा होने के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमित कार्यवाही नहीं की गई है, क्योंकि संहिता की धारा 109/110 के अंतर्गत बने नामांतरण नियमों के नियम 32 के अंतर्गत स्वत्व के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की जाती है न कि कब्जे के आधार और कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की इच्छानुसार ही प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है, अतः आवेदक को चाहिए कि वह तहसील न्यायालय में लिखित बहस कर अपना पक्ष समर्थन करे, ताकि प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर तहसील न्यायालय द्वारा किया जा सके । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित विधिसंगत आदेश की पुष्टि

करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–8–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर